नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या [illegible] 1/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/1/2018 I identify For तब मौ० [illegible] अधि० (वादी) [illegible] जाबिर [illegible] 18-1-2018	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा 8/1/18 को न्यायालय द्वारा उच्चतम फाउण्ड वाद बिन्दु लिये जाने के विरुद्ध जो अपील दायर की गयी थी उसे खारिज किया है परन्तु वादी की फाउण्ड पैमाने का उल्लेख किया है। वादी एवं प्रतिवादिगण के आपसी तय किये हुए विवाद का आपसी में अब कोई विवाद नहीं रहा है। अतः आगे की कार्यवाही बाबत वाद बिन्दु की एकीकृत उदाहरण की। वादी की ओर से वकील वादी की ही फर्म नहीं है एक स्पष्ट डमी आफर है प्रस्तुत फाउण्ड का अवलोकन करने पर लगता है कि दोनों एकपक्षकारान के मेलीजुल का वाद बिन्दु शेष नहीं रहा है और आगे कार्यवाही नहीं चलाना है तो अनावश्यक रूप से वाद को आगे चलाने का औचित्य नहीं रह जाता है। अतः पक्षों की ओर से प्रस्तुत फाउण्ड बिन्दु लिये गये वाद के न्यायहित में एकीकृत रूप से जाकर वाद वादी का बिन्दु है खारिज एवं अतः ही पत्रावली दोनों मुकदमा कर्मकार है कहते हैं वाद एकमुश्त दायर है। आदेश आज दिनांक 18/1/18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय